

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा

(छ.ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छ.ग. कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छ.ग. मंत्रालयीन कर्मचारी संघ एवं समस्त कर्मचारी संगठनों का संयुक्त फोरम)

क्रमांक /04.....

दिनांक 10/07/2023

अनिश्चितकालीन हड़ताल नोटिस

प्रति,

मुख्य सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों के पांच सूत्रीय मांगों के निराकरण हेतु अनिश्चितकालीन हड़ताल नोटिस।

संदर्भ :- छ0ग0कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का ज्ञाप क्रमांक 03, दिनांक 23.06.2023.

--00--

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा समय-समय पर ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन एवं आंदोलन के माध्यम से निम्नांकित पांच सूत्रीय मांगों के संबंध में ध्यानाकृष्ट कराया जाता रहा है। किन्तु शासन द्वारा आज पर्यन्त मांगों के संबंध में प्रतिनिधिमण्डल से चर्चा कर कोई निर्णय नहीं लिये जाने के कारण प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों में भारी आक्रोश व्याप्त है तथा संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 07 जुलाई, 2023 को प्रदेश व्यापी हड़ताल में कर्मचारियों ने अपना आक्रोश प्रदर्शित किया है। संयुक्त मोर्चा द्वारा 09 जुलाई, 2023 को आहूत की गई बैठक के निर्णयानुसार 05 सूत्रीय मांगों में आंशिक संशोधन कर, मांग-पत्र पुनः प्रस्तुत है :-

संशोधित मांगें :-

- (1) सातवें वेतनमान के आधार पर केन्द्र के सामान देय तिथि से गृह भाड़ा भत्ता (HRA) तथा कर्मचारियों/पेंशनरों को महंगाई भत्ता/महंगाई राहत प्रदान किया जाए।
- (2) प्रदेश के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर गठित पिंगुआ कमेटी एवं सा0प्र0वि0 के सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।
- (3) कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24 एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत प्रदान किया जाए एवं अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित किया जावे।
- (4) पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना की जावे एवं पूर्ण पेंशन का लाभ अर्हतादायी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष किया जाए।
- (5) कोविड काल में मितव्ययिता के दृष्टिगत समस्त विभागों की नवीन भर्ती में परिवीक्षा पर लागू स्टापपण्ड प्रणाली के स्थान पर पर पूर्ववत् 02 वर्ष परिवीक्षा अवधि पूर्ण वेतनमान पर लागू किया जाए।

क्रमशः.....2....


11/7/23
CHIEF SECRETARY OFFICE
Mantralaya, Nava Raipur Atal Nagar

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा

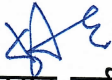
(छ.ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छ.ग. कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छ.ग. मंत्रालयीन कर्मचारी संघ एवं समस्त कर्मचारी संगठनों का संयुक्त फोरम)

क्रमांक / 04

दिनांक 10/07/2023

// 2 //

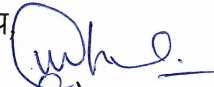
अतः इस नोटिस द्वारा लेख है कि उपरोक्त मांगों का शासन द्वारा 31 जुलाई, 2023 तक निराकरण नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा से संबद्ध संगठन, छ0ग0 कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छ0ग0 कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छ0ग0 मंत्रालयीन कर्मचारी संघ एवं प्रदेश के समस्त कर्मचारी/अधिकारी संगठनों के द्वारा **01 अगस्त, 2023 से अनिश्चितकालीन** आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।


(कमल वर्मा)

प्रांतीय संयोजक

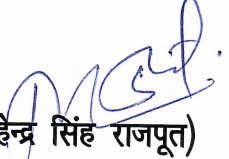
छ0ग0 कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन
मो.नं. 9425509920

भवदीय


(अनिल शुक्ला)

प्रांतीय संयोजक

छ0ग0 कर्मचारी-अधिकारी महासंघ
मो.नं. 9827172207


(महेन्द्र सिंह राजपूत)

अध्यक्ष

छ0ग0 मंत्रालयीन कर्मचारी संघ
मो.नं. 8349121920